

ऑनलाईन ऑफ-कैम्पस काउंसलिंग

2013-14

अभ्यर्थी मार्गदर्शिका

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

अवलोकन : तकनीकी शिक्षा

राष्ट्र के मानव संसाधन विकास, श्रमशक्ति, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि और जीवन गुणवत्ता के उन्नयन में तकनीकी शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत अभियांत्रिकी (Engineering), तकनीक (Technology), प्रबंधन (Management), वास्तुकला (Architecture), नगर-आयोजना (Town Planning), औषधी विज्ञान (Pharmacy) तथा होटल प्रबंधन एवं पाक-तकनीक (Hotel Management & Catering Technology), अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प (Art and Craft) आदि सम्मिलित हैं।

मध्यप्रदेश में संचालित ऐसे संस्थान एवं पाठ्यक्रम जिन्हें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) नई दिल्ली (भारत सरकार की एक संवैधानिक निकाय) से मान्यता प्राप्त है, के लिये शासन के प्राधिकृत अधिकारी संचालक तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा समस्त प्रवेश प्रक्रिया काउंसिलिंग के माध्यम से सम्पादित की जाती है।

राज्य की तकनीकी शिक्षा प्रणाली मुख्यतः चार प्रकार की संस्था में विभाजित होकर संचालित हैं— शासकीय स्वशासी संस्थाएँ, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थाएँ व स्ववित्तपोषी संस्थाएँ और निजी संस्थाएँ। विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये आयोजित होने वाली ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग के लिये पाठ्यक्रमवार संस्थानों की संख्या (सत्र 2013-14 में एआईसीटीई द्वारा परिवर्तन के अधीन) निम्नलिखित तालिकानुसार है : —

| क्र. | पाठ्यक्रम | संस्थान |
|------|------------------------------------|---------|
| 1 | बी.ई. | 224 |
| 2 | बी.आर्क. | 6 |
| 3 | बी.फार्मा. | 89 |
| 4 | बी.एच.एम.सी.टी. | 4 |
| 5 | डी.फार्मा. | 29 |
| 6 | एमबीए | 213 |
| 7 | एम.बी.ए. (अंशकालिक) | 11 |
| 8 | एम.सी.ए. | 77 |
| 9 | एम.टेक.* | 117 |
| 10 | एम.फॉर्मा.* | 74 |
| 11 | पी.पी.टी. | 79 |
| 12 | नॉन-पी.पी.टी. | 19 |
| 13 | लेटरल इन्ट्री (बी.ई/बी.फार्मेसी) | 220 |
| 14 | लेटरल इन्ट्री (आईटीआई से डिप्लोमा) | 65 |
| 15 | लेटरल इन्ट्री (एम.सी.ए.) | 77 |
| 16 | एम.ए.एम.* | ** |

*केवल निजी क्षेत्र

**सीटों की जानकारी एवं प्रवेश की कार्यवाही अलग से धोषित की जावेगी।

परिचय : ऑनलाईन ऑफ-कैम्पस काउंसलिंग

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, म.प्र. विगत कई वर्षों से विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत काउंसलिंग का आयोजन कर रहा है। पूर्व में परम्परागत पद्धति से काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश की कार्यवाही संपादित की जाती रही है जिसमें विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को किसी एक केन्द्र यथा भोपाल के काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित होकर काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना होता था। कालांतर में तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में निरंतर पाठ्यक्रमों की संख्या के साथ-साथ सीटों की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हुई। तेज गति से इस वृद्धि के कारण परंपरागत काउंसलिंग प्रक्रिया निरंतर विशाल स्वरूप धारण करती गई जिसमें प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण करने में अत्यधिक समय लगने लगा। इस काउंसलिंग प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए वर्ष 2009 में संचालनालय तकनीकी शिक्षा, म.प्र. ने एक नयी शुरुआत की, जब वेब-आधारित काउंसलिंग प्रारंभ की गयी। ऑनलाईन ऑफ-कैम्पस काउंसलिंग शुरुआती रूप में कुछ सीमित पाठ्यक्रमों हेतु यथा फार्मेसी, एमबीए और एमसीए के लिए आयोजित की गयी। सफलतापूर्वक इन पाठ्यक्रमों की वेब आधारित काउंसलिंग की सफलता को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2010 में सबसे अधिक संख्या में सम्मिलित होने पाठ्यक्रम बी.ई. की काउंसलिंग भी ऑनलाईन ऑफ काउंसलिंग के माध्यम से सफलतापूर्वक संपादित की गई साथ ही साथ अन्य पाठ्यक्रमों यथा एमई/एमटेक, एमफार्मेसी, लेटरल इंटी (डिग्री एवं डिप्लोमा), पीपीटी डिप्लोमा आदि के लिये भी वेब आधारित ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग सफलतापूर्वक आयोजित की गई। वेब आधारित ऑनलाइन काउंसलिंग से न केवल विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों के अमूल्य समय और धन की बचत हुई है बल्कि पूर्णतः पारदर्शिता भी आम-जनता के लिये उपलब्ध कराई जा सकी। वर्तमान में समस्त व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग ऑनलाईन से संचालनालय तकनीकी शिक्षा सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है।

ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग हेतु प्रमुख पांच स्टेप

| | |
|------------|---|
| (1) | ऑनलाइन पंजीयन (Online Registration) |
| (2) | दस्तावेजों का सत्यापन (Documents Verification) |
| (3) | ऑनलाईन प्राथमिकताक्रम का चयन तथा आंशिक शिक्षण शुल्क का भुगतान (Online Preference/Choice Filling and Part Payment of Tuition Fee) |
| (4) | ऑनलाइन आवंटन (Online Allotment) |
| (5) | आवंटित संस्था में उपस्थिति, दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश (Reporting, Document Verification and Admission in Alloted Institute) |

1. ऑनलाइन पंजीयन (Online Registration)

समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिये ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा। ऑनलाइन काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिये सभी अभ्यर्थी वेबसाइट www.dtempcounselling.org अथवा www.mponline.gov.in पर ऑनलाइन पंजीयन करवाएंगे। ऑनलाइन पंजीयन हेतु समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये पंजीयन शुल्क निम्नानुसार देय होगा:-

| | |
|---|---|
| BE/MBA/MCA/B&DPharmacy/M.E./M.P harmacy/ BHMCT/ B.Arch./ LET- (B.E./B.Pharmacy))/LET MCA/MAM | रु430/- (पोर्टल चार्जस रु30/- सहित) (वापसी योग्य नहीं) -Non Refundable |
| Diploma (PPT)/Diploma (Non PPT)/LET- (Diploma) | रु230/- (पोर्टल चार्जस रु30/- सहित) (वापसी योग्य नहीं) -Non Refundable |

ऑनलाइन काउंसिलिंग हेतु अभ्यर्थी निम्नलिखित माध्यमों से सम्मिलित हो सकते हैं:-

सारणी क्रमांक 1 इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के विकल्प

- अभ्यर्थी के निवास में इंटरनेट की सुविधा होने पर स्वयं के निवास से।
- निकटस्थ सहायता केन्द्रों (शासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय/शासकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय/राज्य शासन के स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालय/अन्य शासकीय संस्थाएं आदि जिनकी सूची पते एवं दूरभाष क्रमांक सहित वेबसाइट www.mponline.gov.in पर रहेगी) से।
- अभ्यर्थी के शहर/गाँव में स्थित इंटरनेट की सुविधा के माध्यम से।
- एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से।

पंजीयन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया होगी-

- अभ्यर्थी वेबसाइट www.dtempcounselling.org अथवा www.mponline.gov.in में उपलब्ध संबंधित पाठ्यक्रम पर क्लिक करें तथा Registration करावें
- ऑनलाइन काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिये अभ्यर्थी को कुछ महत्वपूर्ण डाटा पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के लिये आवश्यक होगा, यथा:-
 - व्यापमं/गेट/जीपेट/सी-मैट/नाटा के प्रवेश परीक्षा का रोल नंबर (प्रवेश परीक्षा के आधार पर आयोजित काउंसिलिंग के लिये)
 - जन्म तिथि
 - अर्हकारी परीक्षा का रोल नंबर (यथा 10वीं/12वीं/डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर जो भी लागू हो)
 - अर्हकारी परीक्षा के पूर्णांक तथा प्राप्तांक
 - अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम
 - अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष
 - मोबाईल नंबर

- ई-मेल आईडी
- अन्य आवश्यक जानकारी जो तत्समय प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया हो।
- पंजीयन शुल्क का भुगतान के लिये निम्नलिखित सारणी में दिये गये विकल्पों में से किसी भी एक विकल्प का उपयोग किया जा सकता है:-

| सारणी क्रमांक 2 शुल्क भुगतान करने के विकल्प |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ इंटरनेट बैंकिंग ➤ एटीएम/डेबिट/क्रेडिट कार्ड ➤ सभी अधिकृत शासकीय सहायता केन्द्रों (काउंसलिंग प्राधिकारी द्वारा अधिकृत) पर नगद भुगतान ➤ एमपीऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क पर नगद भुगतान |

- पंजीयन शुल्क के भुगतान उपरांत ही अभ्यर्थी को शुल्क भुगतान की रसीद तथा अस्थाई पासवर्ड प्राप्त होगा।

महत्वपूर्ण:-

- ❖ अभ्यर्थी को प्रथमतः प्राप्त पासवर्ड को अनिवार्य रूप से सुरक्षा के दृष्टिकोण से बदल लें तथा बदले हुए पासवर्ड को किसी को न बताएं।
- ❖ अगली बार अभ्यर्थी लॉगईनआईडी (जोकि उसका रोल नंबर तथा जन्म तिथि होगी) तथा अपने पासवर्ड का उपयोग कर लॉगईन कर सकेंगे। अभ्यर्थी जब भी लॉगईन करे अनिवार्यतः अंत में सुरक्षा की दृष्टि से लॉगआउट भी करे।
- ❖ सभी अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिये **पासवर्ड** सुरक्षित व गोपनीय रखें ताकि समय-समय पर आवश्यकतानुसार उसका उपयोग करने में परेशानी न हो।
- ❖ अभ्यर्थी को यह सुविधा रहेगी की वह कभी भी अपना पासवर्ड बदल सकता है।
- ❖ पासवर्ड भूल जाने/गुम जाने की दशा में अभ्यर्थी के द्वारा पंजीयन के समय जो अतिरिक्त जानकारियां दी गई थी, तथा अपने पहचान पत्र के साथ किसी भी नजदीकी अधिकृत सहायता केन्द्र से रु 100/- जमा कर नया पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

2. दस्तावेजों का सत्यापन (Documents Verification)

पंजीयन उपरांत **समय-सारणी में बताए अनुसार अभ्यर्थियों** को सर्वप्रथम अपने मूल दस्तावेजों का सत्यापन निकटस्थ सहायता केन्द्रों (काउंसलिंग प्राधिकारी द्वारा अधिकृत) में करवाना होगा। सत्यापन उपरांत सत्यापित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षरित पावती प्राप्त करें तथा अपने पास सुरक्षित रखें।

अभ्यर्थियों को निम्नलिखित मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराना है :-

- व्यापम की प्रवेश परीक्षा की अंकसूची (पाठ्यक्रमवार यथा पीईपीटी/पीपीटी/प्री-एमसीए जो भी लागू हो)
- नाटा/गेट/जीपेट/सी-मेट प्रवेश परीक्षा का वैद्य स्कोर कार्ड (पाठ्यक्रमवार बी. आर्क/एमई/एमटेक/एमफार्मसी/एमबीए के लिये जो भी लागू हो)
- अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची
- 10वीं की अंकसूची/प्रमाण-पत्र

- मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) अभ्यर्थियों के लिये अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
- नवीनतम आय प्रमाण-पत्र (परिवार का) सक्षम प्राधिकारी (कलेक्ट्रेट द्वारा अधिकृत) द्वारा जारी किया गया हो (यदि लागू हो)
- मध्यप्रदेश के मूल निवासी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF)/सैनिक (S) का प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
- मध्यप्रदेश राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अथवा गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों के पुत्र/पुत्री होने संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
- तकनीकी संवर्ग (टेक्नीकल स्ट्रीम) (TS) (यदि लागू हो)
- विकलांग अभ्यर्थियों के लिये अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी निम्नलिखित प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
 - जिला जिला चिकित्सा मंडल द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र ; तथा
 - अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलांगों हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (Superintendent, Vocational Rehabilitation Centre for Physically Handicapped, Govt. of India, Ministry of Labour) नेपियर टाउन, जबलपुर द्वारा जारी पाठ्यक्रम पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होंगे।
- जम्मू-कश्मीर विस्थापित अथवा जम्मू-कश्मीर निवासी का प्रमाण-पत्र (J&K Migrant or J&K Resident) (यदि लागू हो)
- संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय के ग्रेड को अंकों/प्रतिशत में बदलने का फार्मूला (ग्रेड आधारित अंकसूची की दशा में)
- एन.सी.सी. 'बी'/'सी' सर्टिफिकेट (यदि लागू हो)

टीप:-1) यदि कोई अभ्यर्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण दस्तावेजों के सत्यापन के लिये स्वयं उपस्थित होने में असफल रहता है तथा वह चिकित्सालय में भर्ती है, तो उसके संरक्षक/अभिभावक को उसकी ओर से दस्तावेजों के सत्यापन कराने के लिये उपस्थित होने हेतु अनुज्ञा दी जा सकेगी, बशर्ते कि संबंधित अभ्यर्थी बीमारी तथा चिकित्सालय में भर्ती होने के सबूत के रूप में संबंधित सी.एम.ओ./सिविल सर्जन द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाणपत्र के साथ इस आशय का प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करे। यदि बाद में यह पाया जाए कि अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी गलत थी, तो प्रवेश रद्द किए जाने का उत्तरदायी होगा।

- 2) सहायता केन्द्रों पर मूल दस्तावेज सत्यापन उपरांत वापिस कर दिये जावेंगे।
- 3) सहायता केन्द्र, अभ्यर्थियों को Eligible/Not Eligible की हस्ताक्षरित पावती जारी करेंगे।
- 4) Not Eligible अभ्यर्थी सत्यापन की अंतिम तिथि के पूर्व पुनः उपस्थित होकर अपने सही/चाहे गये दस्तावेजों का सत्यापन करवा सकते हैं अथवा आरक्षित श्रेणी में Not Eligible होने पर अभ्यर्थी अपनी स्वेच्छा से अनारक्षित अभ्यर्थी की श्रेणी से काउंसिलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं।

3. ऑनलाईन प्राथमिकताक्रम का चयन तथा शिक्षण शुल्क का आंशिक भुगतान (Online Preference/Choice Filling and Part Payment of Tuition Fee)

पाठ्यक्रमवार अभ्यर्थी संस्थाओं/ब्रांच का प्राथमिकताक्रम से चयन कर लॉक कर सकेंगे। इस कार्यवाही के लिये निम्नानुसार प्रक्रिया का पालन करना होगा—

- अभ्यर्थी द्वारा कम से कम एक तथा अधिक से अधिक सभी उपलब्ध संस्थाओं/पाठ्यक्रम का प्राथमिकतानुसार ऑनलाईन चयन कर सकेंगे तथा घोषित समय-सारणी अनुसार निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व शुल्क के भुगतान कर लॉक करना होगा ।
- **निर्धारित शुल्क का भुगतान कर लॉक करने के पूर्व** अभ्यर्थी इच्छित प्राथमिकताक्रम को अपनी संतुष्टि के लिये कई बार बदल सकते हैं ।
- अभ्यर्थी को शुल्क का भुगतान करते समय एक **High security password** उनके द्वारा दिये गये मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पर प्राप्त होगा जिसकी प्रविष्टि कर भुगतान की कार्यवाही संपादित कर इच्छित प्राथमिकताक्रम लॉक हो जावेगा, तदोपरान्त उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं हो सकेगा ।
- सभी अभ्यर्थियों से आंशिक शिक्षण शुल्क निम्नानुसार देय होगा:—

| | |
|---|---------------------------------------|
| BE/MBA/MCA/B&DPharmacy/M.E./M.Pharm./BHMCT/ B.Arch./ LET- (B.E./B.Pharmacy)/LET MCA/MAM | रु1100/— (पोर्टल चार्जस रु100/— सहित) |
| Diploma (PPT)/Diploma (Non PPT)/LET (ITI to Diploma) | केवल पोर्टल चार्जस रु100/— |

शुल्क का भुगतान **“सारणी क्रमांक 2 –शुल्क भुगतान करने के विकल्प”** में दर्शाये अनुसार ही करना होगा । अपनी च्वाइस को लॉक करने के बाद एक पावती प्राप्त होगी जिसमें भुगतान किये गये शुल्क का ब्यौरा तथा उनकी च्वाइस का क्रम अभ्यर्थी द्वारा दिये गये प्राथमिकताक्रम के अनुसार मुद्रित होगा। अभ्यर्थी इस पावती को संभालकर अपने पास रखें ।

4. ऑनलाइन आवंटन (Online Allotment)

अभ्यर्थी द्वारा भरी गई प्राथमिकताक्रम के आधार पर कॉमन मेरिट के अनुसार निर्धारित समय-सारणी के अनुसार आवंटन किया जावेगा तथा आवंटित संस्था/पाठ्यक्रम का उल्लेख आवंटन-पत्र में रहेगा। जिसे वे अपने लॉगईनआईडी/पासवर्ड डालकर इसका प्रिंटआउट प्राप्त करेंगे। संस्था/पाठ्यक्रम आवंटन होने के पश्चात् निर्धारित समय-सीमा में, जोकि उनके प्रिंटआउट पर मुद्रित होगा, अभ्यर्थी को निम्नलिखित कार्यवाही सम्पादित करना आवश्यक होगा:—

1. यदि आवंटित संस्था/ब्रांच से संतुष्ट हैं तो उनके प्रिंटआउट पर दर्शाई अंतिम तिथि के पूर्व आवंटित संस्था में उपस्थित होकर ऑनलाइन प्रवेश प्राप्त करें तथा प्रवेशित संस्था से ऑनलाइन प्रवेश पर्ची (Admission Slip) अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षरित अनिवार्यतः प्राप्त करें तथा स्वयं भी हस्ताक्षर कर उसकी एक प्रति संस्था में जमा करें।
2. यदि अभ्यर्थी अपग्रेडेशन के लिये इच्छुक हैं तो प्रिंटआउट में दर्शाई गई अंतिम तिथि के पूर्व अपना अपग्रेडेशन का विकल्प ऑनलाइन प्रस्तुत करें। (अपग्रेडेशन का विकल्प प्रस्तुत करने की सुविधा बीई/एमबीए/एमसीए/बी.एवं डी. फार्मसी

पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के आधार पर केवल प्रथम चरण की काउंसलिंग में उपलब्ध रहेगी)

- यदि अभ्यर्थी उपरोक्त दोनों विकल्पों में से कोई कार्य सम्पादित नहीं करता है तो उसका आवंटन निरस्त माना जावेगा तथा अभ्यर्थी द्वारा जमा आंशिक शिक्षण शुल्क की राशि रु1000/- की कटौती कर ली जावेगी ।

महत्वपूर्ण:-

ऐसे अभ्यर्थी जो अपग्रेडेशन (केवल बीई/एमबीए/एमसीए/बी.एवं डी. फार्मसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के आधार पर केवल प्रथम चरण की काउंसलिंग में लागू) चाहते हैं वे प्रिंटआउट में दर्शाई गई अंतिम तिथि के पूर्व अपना अपग्रेडेशन का विकल्प प्रस्तुत कर अपग्रेडेशन जारी होने तक इंतजार करें। उन्होंने जिन संस्थाओं/पाठ्यक्रम के लिये प्राथमिकताक्रम का चयन किया था उनमें से उन्हें आवंटित संस्था/पाठ्यक्रम के ऊपर की चयनित संस्थाओं/पाठ्यक्रमों के लिये अपग्रेडेशन के माध्यम से आवंटन हेतु अवसर मिलेगा। अपग्रेडेशन होने पर नया आवंटन पत्र प्राप्त करें तथा नये आवंटित संस्था में प्रिंटआउट में दर्शाई गई अंतिम तिथि तक रिपोर्ट कर प्रवेश प्राप्त करें। अपग्रेडेशन न होने पर पूर्व आवंटित संस्था में ही प्रिंटआउट में दर्शाई गई अंतिम तिथि तक रिपोर्ट कर प्रवेश प्राप्त करें ।

5. आवंटित संस्था में उपस्थिति, दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश (Reporting, Document Verification and Admission in Alloted Institute)

अभ्यर्थी प्रवेश लेने हेतु आवंटित संस्था में अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्र तथा आवश्यक शुल्क के साथ उपस्थित होगा । प्रमाण-पत्रों की सूची निम्नानुसार है:-

- वेबसाइट से प्राप्त आवंटन पत्र का प्रिंटआउट
- अर्हकारी परीक्षा की मूल अंकसूची
- 10वीं की मूल अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो
- मध्यप्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
- आरक्षित श्रेणी/वर्ग से संबंधित दस्तावेज (यदि लागू हो)
- अन्य कोई दस्तावेज जिसका उल्लेख हो तथा
- निजी क्षेत्र की संस्थाओं में समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले अनारक्षित श्रेणी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को रु 20000/- (बीस हजार) एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को रु 10000/- (दस हजार) आवंटित संस्था में "संचालक तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश" भोपाल (Director Technical Education, Madhya Pradesh, Bhopal) के नाम देय डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा। जबकि पीपीटी, डी.फार्मसी एवं लेटरल एन्ट्री (आई.टी.टाई से डिप्लोमा) पाठ्यक्रमों के लिए निजी क्षेत्र की संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले अनारक्षित श्रेणी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को रु 10000/- (दस हजार) एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को रु 5000/- (पाँच हजार) आवंटित संस्था में "संचालक तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश" भोपाल (Director Technical Education, Madhya Pradesh, Bhopal) के नाम देय डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा।**

आवंटित संस्था में प्रवेश हेतु उपस्थित होकर निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन कर प्रवेश प्राप्त करना होगा:—

- संस्था के अधिकृत अधिकारी, अभ्यर्थी के दस्तावेजों का सत्यापन करने के उपरांत ऑनलाईन उसकी एण्ट्री करेंगे तथा **डिमाण्ड ड्राफ्ट की ऑनलाईन एण्ट्री कर** अभ्यर्थी का पासवर्ड अभ्यर्थी के द्वारा ही एंटर करवाकर रिपोर्टिंग लॉक करेंगे।
- रिपोर्टिंग के तुरंत बाद प्रवेश पर्ची का प्रिंटआउट प्राप्त कर संस्था के अधिकृत अधिकारी तथा अभ्यर्थी के हस्ताक्षर प्राप्त कर एक प्रवेश पर्ची अभ्यर्थी को देंगे तथा एक प्रिंटआउट संस्था में रिकार्ड हेतु सुरक्षित रखेंगे।
- अभ्यर्थी अयोग्य घोषित होने पर **Not Eligible** की पर्ची प्रिंट होगी जिसे संस्था के अधिकृत अधिकारी हस्ताक्षरित कर अभ्यर्थी को एक प्रति दी जावेगी।
- **Not Eligible** अभ्यर्थी पुनः उस चरण की रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि के पूर्व अपने वैध दस्तावेजों के साथ आवंटित संस्था में पुनः उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।
- उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थी तथा **Not Eligible** अभ्यर्थी की सीटें रिक्त मानी जावेंगी तथा रिक्त स्थान अगले चरण की काउंसिलिंग में सम्मिलित किया जावेगा
- प्रवेश उपरांत संस्था के अधिकृत अधिकारी एवं प्रवेशित अभ्यर्थी प्रवेश संबंधी स्टेट्स को अपने लॉगईन आईडी तथा पासवर्ड से अवश्य सुनिश्चित कर लें।
- **किसी भी परिस्थिति में मूल प्रमाण-पत्र संस्था में जमा न करें।**
- अभ्यर्थी को शासन/प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी तरह का शुल्क आवंटित संस्था को देय नहीं है। (शुल्क के विवरण हेतु वेबसाइट www.afrcmp.org देखें)

महत्वपूर्ण:—

- ✓ अंतिम तिथि के 7 दिन पूर्व तक, प्रवेशित संस्था से अभ्यर्थी अपना प्रवेश निरस्त करवा सकते हैं तथा नियमानुसार कटौती उपरांत शुल्क वापिस की जावेगी। निर्धारित अंतिम तिथि के 7 दिन पूर्व के बाद प्रवेश निरस्त नहीं होगा अपितु अभ्यर्थी को प्रवेशित संस्था से स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (TC) प्राप्त करना होगा।

द्वितीय चरण की काउंसिलिंग

प्रथम चरण की काउंसिलिंग के उपरांत सीटें रिक्त रहने पर द्वितीय चरण की काउंसिलिंग (सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित पाठ्यक्रमों के लिये) आयोजित की जावेगी जिसमें निम्नलिखित अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकेंगे:—

(एक) व्यापम द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर :—

1. जो प्रथम चरण की काउंसिलिंग में किसी कारणवश सम्मिलित नहीं हो सके थे।

2. जिन्होंने प्रथम चरण में आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश नहीं ले सके थे अर्थात् नॉट रिपोर्टेड थे अथवा जिन्हें आवंटन प्राप्त नहीं हो सका था।
3. जिन्होंने प्रथम चरण में आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश प्राप्त कर अपना प्रवेश निरस्त करवा लिया है।

नोट:- इस काउंसिलिंग में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को प्रथम चरण की काउंसिलिंग प्रक्रिया में बताये अनुसार सभी स्टेप्स का पालन करना होगा।

(दो) अर्हकारी परीक्षा के आधार पर :-

ऐसे अभ्यर्थी जो व्यापम की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके थे वे अर्हकारी परीक्षा के आधार पर इस काउंसिलिंग में सम्मिलित हो सकेंगे। अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर अभ्यर्थी को प्रथम चरण की काउंसिलिंग प्रक्रिया में बताये अनुसार सभी स्टेप्स का पालन करना होगा साथ ही साथ समस्त अभ्यर्थी को अधिकृत सहायता केन्द्रों में अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना आवश्यक है। उपरोक्त (एक) में व्यापम द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर आवंटन उपरांत शेष स्थानों पर इन अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर अभ्यर्थी के कॉमन मेरिट अनुसार संस्था/पाठ्यक्रम का आवंटन किया जावेगा।

आंतरिक ब्रांच परिवर्तन (Internal Branch Change)

केवल बी.ई. पाठ्यक्रमों में महाविद्यालय स्तर की काउंसिलिंग (CLC) के पूर्व, संस्था विशेष में प्रवेशित अभ्यर्थी यदि अपनी प्रवेशित संस्था में ब्रांच परिवर्तन चाहते हैं, उन्हें निर्धारित समय सारणी अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर ब्रांच के विकल्प प्रस्तुत करने होंगे। जिसकी जानकारी वेबसाइट www.dtempcounselling.org तथा www.mponline.gov.in पर उपलब्ध रहेगी तथा इसके लिए पोर्टल चार्ज भी देय होगा। ब्रांच परिवर्तित होने की दशा में उसकी पूर्व आवंटित ब्रांच का प्रवेश स्वतः निरस्त हो जावेगा तथा नई आवंटित ब्रांच में ही उसका प्रवेश मान्य होगा।

संस्था स्तर की काउंसिलिंग

प्रथम/द्वितीय चरण की काउंसिलिंग पश्चात् सीटें रिक्त रहने पर संस्था स्तर पर काउंसिलिंग आयोजित की जावेगी। इस काउंसिलिंग में व्यापम की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी तत्पश्चात् रिक्त स्थानों को अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी। संस्था स्तर की काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिये अभ्यर्थी को प्रथम दो स्टेप अर्थात् ऑनलाइन पंजीयन तथा अधिकृत सहायता केन्द्र पर अपने दस्तावेजों को सत्यापन कराने के उपरांत इच्छित संस्था में समय-सारणी अनुसार उपस्थित होकर प्रवेश की प्रक्रिया में शामिल होना होगा। किसी पाठ्यक्रम विशेष के लिये यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्थास्तर की काउंसिलिंग आयोजित की जाती है तो उक्त संस्थास्तर की काउंसिलिंग में पंजीयन के समय निर्धारित पंजीयन शुल्क के साथ-साथ आंशिक शिक्षण शुल्क के रूप, **निजी क्षेत्र की संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले अनारक्षित श्रेणी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को रु 20000/- (बीस हजार) एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को रु 10000/- (दस हजार) आवंटित संस्था में "संचालक तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश" भोपाल (Director Technical Education, Madhya Pradesh, Bhopal) के नाम देय डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा।** जबकि पीपीटी, डी.फार्मसी एवं लेटरल एन्ट्री (आई.टी.टाई से डिप्लोमा) पाठ्यक्रमों के लिए निजी क्षेत्र की संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले अनारक्षित श्रेणी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को रु 10000/- (दस हजार) एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को रु 5000/- (पाँच हजार)

आवंटित संस्था में "संचालक तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश" भोपाल (Director Technical Education, Madhya Pradesh, Bhopal) के नाम देय डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा।

नोट:- किसी भी चरण की काउंसलिंग में आवंटन उपरांत प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी यदि किसी कारणवश अगली काउंसलिंग में सम्मिलित होना चाहते हैं तब ऐसी परिस्थिति में उन्हें निर्धारित अंतिम तिथि के 7 दिन पूर्व तक अपना पूर्व प्रवेश निरस्त करवाना होगा। निरस्तीकरण की कार्यवाही अभ्यर्थी को अपनी प्रवेशित संस्था से ही करवाना होगा। संस्था द्वारा प्रवेश निरस्तीकरण न किये जाने की दशा में अभ्यर्थी काउंसलिंग से संबंधित समस्त दस्तावेजों के साथ निकटतम सहायता केन्द्र पर निर्धारित अंतिम तिथि के 7 दिन पूर्व तक उपस्थित होकर अपना प्रवेश निरस्त करवा सकते हैं।

काउंसलिंग/प्रवेश हेतु महत्वपूर्ण वेबसाइट:-

www.dtempcounselling.org

www.mponline.gov.in

नोट:- पाठ्यक्रम विशेष के प्रवेश नियम, प्रवेश प्रक्रिया, समय-सारणी तथा समय-समय पर जारी किये जाने वाली सूचनाएं वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगी, तदनुसार सूक्ष्मता से अध्ययन कर काउंसलिंग में सम्मिलित होने की सलाह दी जाती है।

ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग

छात्र-छात्राओं / अभिभावकों हेतु सुझाव

- 1 विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों यथा बी.ई., बी.आर्किटेक्चर, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नालॉजी, फार्मसी(बी/डी), डिप्लोमा, एमबीए, एमसीए, एम.ई/एम.टेक., एम.फार्मसी, एम.ए.एम., लेटरल एंट्री के माध्यम से बी.ई./बी.फार्मसी/डिप्लोमा (इंजीनियरिंग)/एमसीए आदि में प्रवेश ऑनलाईन किये जाते हैं जिसमें छात्र/छात्राएं इंटरनेट के माध्यम से सम्मिलित हो सकेंगे।
- 2 समय-समय पर संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा जारी किये जाने वाले विज्ञापन का सूक्ष्म अध्ययन करें। उक्त विज्ञापन तथा निर्देश वेबसाइट www.dtempcounselling.org तथा www.mponline.gov.in पर भी उपलब्ध रहेंगे।
- 3 काउंसलिंग में सम्मिलित होने के पूर्व संबंधित पाठ्यक्रम की प्रवेश नियम पुस्तिका का गहन अध्ययन कर लें। सभी पाठ्यक्रमों की प्रवेश नियम पुस्तिका वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।
- 4 ऑनलाईन काउंसलिंग में सम्मिलित होने के पूर्व ऑनलाईन काउंसलिंग प्रक्रिया जो वेबसाइट पर उपलब्ध है, का गहन अध्ययन कर लें तथा समस्त आवश्यक दस्तावेज/जानकारी एकत्रित कर लें।
- 5 अपने निकट के सहायता केन्द्रों की सूची वेबसाइट www.dtempcounselling.org अथवा www.mponline.gov.in से प्राप्त कर लें।
- 6 ऑनलाईन आफ कैम्पस काउन्सिलिंग में सम्मिलित होने के पूर्व समस्त संस्थाओं की जानकारी प्राप्त कर लें जिनमें वे प्रवेश लेने के इच्छुक हैं अथवा अपनी प्राथमिकताक्रम/च्वाइस में भरना चाहते हैं।
- 7 संस्थाओं की संक्षिप्त प्रोफाइल वेबसाइट www.dtempcounselling.org तथा www.mponline.gov.in पर उपलब्ध रहेगी। साथ ही साथ संबंधित संस्था की वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लें।
- 8 अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु संचालनालय तकनीकी शिक्षा एवं शासन द्वारा कॉलसेन्टर स्थापित किये जावेंगे जिनके नम्बर काउंसलिंग कार्यक्रम में प्रकाशित किये जावेंगे तथा ये नंबर वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेंगे।
- 9 अभ्यर्थी ऑनलाईन आफ कैम्पस काउन्सिलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के पूर्व यह भी सुनिश्चित करें कि वे जिस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं उस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु आवश्यक अर्हता रखते हैं, यह भी सुनिश्चित करें कि अर्हकारी परीक्षा की मूल अंकसूची प्रक्रिया के समय उनके पास उपलब्ध है।
- 10 अभ्यर्थियों को सलाह है कि यथासंभव वे अपने घर से अथवा शासकीय सहायता केन्द्रों से ही इंटरनेट के माध्यम से काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हों।

- 11 समस्त मूल प्रमाण-पत्र वेबसाईट पर उपलब्ध नियम पुस्तिका में दिये अनुसार तैयार रखें । इनके अभाव में आप काउंसिलिंग प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं ।
- 12 अपने मूल दस्तावेज सत्यापन उपरांत वापिस ले लें ।
- 13 मूल दस्तावेज सहायता केन्द्रों या आवंटित संस्था में जमा नहीं करना है। केवल एक-एक फोटोप्रति जमा करनी है ।
- 14 अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु संस्थाओं के गतवर्ष के कट-ऑफ अंक वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी ।
- 15 संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा अधिकृत निकटस्थ सहायता केन्द्र में मूल दस्तावेजों सत्यापन के उपरान्त सहायता केन्द्र से **Eligible/Not Eligible** की सत्यापित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त पावती अवश्य प्राप्त करें तथा उक्त पावती अपने पास सुरक्षित रखे ।
- 16 **Not Eligible** अभ्यर्थी सत्यापन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व पुनः उपस्थित होकर सही प्रारूप में दस्तावेज प्रस्तुतकर पुनः सत्यापन करा सकता है ।
- 17 आरक्षित श्रेणी में **Not Eligible** अभ्यर्थी, काउंसिलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं किन्तु उन्हें अनारक्षित श्रेणी (UR) का अभ्यर्थी माना जाएगा तथा उन पर अनारक्षित श्रेणी के सभी नियम लागू होंगे ।
- 18 सत्यापन उपरांत प्राप्त पावती को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा अपनी **Eligibility Status** की जाँच कर लें तथा ऑनलाइन **Check Candidate Status** के माध्यम से भी जाँच कर लें ।
- 19 ऑनलाइन काउंसिलिंग के विभिन्न स्टेप्स पर भरे जाने वाले शुल्क की ऑनलाइन रसीद का प्रिंटआउट अवश्य प्राप्त कर लें तथा अपने पास सुरक्षित रखें ।
- 20 शुल्क के भुगतान के विभिन्न माध्यम काउंसिलिंग प्रक्रिया में बताई गई है। तदनुसार शुल्क का भुगतान करें। बिना शुल्क भुगतान के की गई काउंसिलिंग प्रक्रिया अपूर्ण मानी जावेगी तथा अमान्य किया जावेगा ।
- 21 ऑनलाइन काउंसिलिंग की पंजीयन (**Registration**) प्रक्रिया के समय प्राप्त **पासवर्ड को** सुरक्षित एवं गोपनीय रखें ताकि समय-समय पर आवश्यकतानुसार उसका उपयोग करने में परेशानी न हो । किसी भी परिस्थिति में अपना पासवर्ड किसी को भी न बताएं ।
- 22 अभ्यर्थी सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपना पासवर्ड बदल सकता है ।
- 23 अभ्यर्थी पाठ्यक्रमवार संस्थाओं का प्राथमिकता क्रम से चयन कर सकेंगे। जिसमें कम से कम एक अथवा अधिक से अधिक सभी संस्थाओं/पाठ्यक्रमों का प्राथमिकता के अनुसार चयन कर सकते हैं ।
- 24 संस्थाओं/पाठ्यक्रम की प्राथमिकताक्रम भरने के पूर्व समस्त संस्थाओं की सूची अपने पास रखें जिसे वे वेबसाईट से डाउनलोड कर सकते हैं । पहले प्राथमिकताक्रम निर्धारित कर लें तत्पश्चात इंटरनेट के माध्यम से स्वयं अपनी च्वाइस भरें ।
- 25 प्राथमिकता क्रम एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है अतः ध्यान से सोच-समझकर भरें। इसके भरने में जल्दबाजी न करें। च्वाइस भरने हेतु निर्धारित तिथियों में आप अपनी च्वाइस

- कई बार बदल सकते हैं बशर्ते कि आपने शुल्क का भुगतान नहीं किया हो अर्थात् अपनी च्वाइस लॉक नहीं की है। च्वाइस लॉक करने के लिये निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।
- 26 प्राथमिकताक्रम/ च्वाइस भरने के बाद शुल्क भुगतान करना होगा अर्थात् लॉक करना होगा। शुल्क भुगतान के बाद ही आपकी प्राथमिकताक्रम/ च्वाइस भरने की प्रक्रिया पूरी होगी।
 - 27 शुल्क भुगतान करने के बाद आप अपनी प्राथमिकताक्रम/ च्वाइस में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। लॉक करने के पूर्व अभ्यर्थी अपने प्राथमिकताक्रम को अपनी इच्छानुसार कई बार परिवर्तित कर सकते हैं।
 - 28 प्राथमिकताक्रम/ च्वाइस पूर्णतः स्वविवेक से भरे तथा अपने अभिभावकों की सलाह लें। किसी बाहरी व्यक्ति के बहकावे में न आवें। जो क्रम आपके द्वारा भरा जावेगा उसी क्रम में संस्थाओं का आवंटन कम्प्यूटर द्वारा आपकी मेरिट की पात्रता अनुसार होगा।
 - 29 अभ्यर्थियों द्वारा भरी प्राथमिकताक्रम के अनुसार तथा उनकी मेरिट से संस्थाओं/ पाठ्यक्रम का आवंटन होगा।
 - 30 अभ्यर्थी अपना लॉगिनआईडी व पासवर्ड डाल कर आवंटित संस्था तथा पाठ्यक्रम का नाम बेवसाइट www.dtempcounselling.org/ www.mponline.gov.in से प्रिंटआउट प्राप्त कर लें।
 - 31 प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी आवंटित संस्था में दर्शाई गई अंतिम तिथि तक रिपोर्ट करें। रिपोर्टिंग नहीं करने की दशा में उक्त सीट रिक्त मानी जावेगी तथा अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जायेगा।
 - 32 अपग्रेडेशन (सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित पाठ्यक्रमों पाठ्यक्रम विशेष के प्रथम चरण की काउंसलिंग पर लागू) के इच्छुक अभ्यर्थियों को अपग्रेडेशन का विकल्प चयन कर, अपग्रेडेशन होने तक इंतजार करना होगा तथा अपग्रेडेशन होने की स्थिति में नया आवंटन पत्र प्राप्त कर दर्शाई गई अंतिम तिथि तक संस्था में रिपोर्ट करना होगा। अपग्रेडेशन न होने पर पूर्व आवंटित संस्था में निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश लेना होगा।
 - 33 आवंटन पश्चात आवंटन पत्र तथा सभी मूल दस्तावेज व उनकी दो-दो फोटोप्रतियां तथा आवश्यक शुल्क सहित आवंटित संस्था में रिपोर्ट करें तथा प्रवेश प्राप्त करें।
 - 34 प्रवेश उपरांत संस्था से प्रवेश होने संबंधी ऑनलाईन प्रवेश पर्ची (जोकि संस्था के अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित हो) प्राप्त करें और इसे संभालकर रखें। यह सुनिश्चित करें कि प्रवेश पर्ची में प्रवेशित (**Admitted**) दर्शाया गया है, का उल्लेख है। अभ्यर्थी ऑनलाइन भी अपने प्रवेश के संबंध में Check Status के माध्यम से सुनिश्चित कर सकते हैं।
 - 35 अधूरे तथा दस्तावेजों की कमी होने पर आपको ऑनलाईन **Not Eligible for Admission** की पर्ची दी जावेगी और अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यद्यपि अभ्यर्थी आवंटन पत्र में दर्शाई गई निर्धारित अंतिम तिथि तक अधूरे तथा दस्तावेजों की कमी की पूर्ति कर पुनः संस्था में उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त कर सकता है।

- 36 किसी भी परिस्थिति में निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क संस्था में जमा न करें। संस्थाओं द्वारा लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्क का निर्धारण “प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, मध्यप्रदेश” द्वारा किया जाता है। शुल्क का विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।
- 37 संस्थाओं द्वारा अधिक शुल्क की मांग किये जाने पर “प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, मध्यप्रदेश” (AFRC) टैगोर होस्टल कैम्पस, श्यामला हिल्स, भोपाल में शिकायत दर्ज कराये।
- 38 आवंटन उपरांत प्रवेश के अनिच्छुक अभ्यर्थियों तथा निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व तक अपना प्रवेश निरस्त कराने वाले अभ्यर्थियों को जमा आंशिक शिक्षण शुल्क में से नियमानुसार राशि काटकर वापिस कर दी जावेगी।
- 39 संस्था में प्रवेश उपरांत निर्धारित अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी अपना प्रवेश निरस्त करा सकते हैं। इसके लिये वे संस्था में आवेदन प्रस्तुत करें तथा ऑनलाईन प्रवेश निरस्तीकरण की रसीद प्राप्त करें।
- 40 प्रवेश के लिये निर्धारित अंतिम तिथि के 7 दिन पूर्व तक अपना प्रवेश संस्था से ऑनलाईन निरस्त करवा सकते हैं। यदि संस्था निरस्त करने में आनाकानी करती है अथवा मना करती है तब ऐसी परिस्थिति में उक्त तिथि तक नजदीकी सहायताकेन्द्र पर संस्था के विरुद्ध शिकायत करते हुए अपना प्रवेश निरस्त करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर निरस्त करवा सकते हैं किन्तु उक्त कार्यवाही निर्धारित अंतिम तिथि के 7 दिन पूर्व सम्पादित करनी होगी।

| अभ्यर्थियों एवं अभिभावकों हेतु महत्वपूर्ण सुझाव एवं सावधानियां | |
|--|--|
| 1. | मूल दस्तावेज किसी भी परिस्थिति में जमा नहीं करें। आवंटित संस्था में प्रवेश के समय आवश्यक दस्तावेजों की केवल फोटोप्रति ही जमा करनी है। |
| 2. | काउंसलिंग में पंजीयन (Registration) के लिये ईमेल आईडी एवं मोबाइल नम्बर पूर्व से निर्धारित कर लें। काउंसलिंग पंजीयन, सत्यापन, प्राथमिकता चयन एवं संस्था में रिपोर्टिंग इत्यादि संबंधी आवश्यक निर्देश उक्त ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर पर ही भेजे जावेंगे। |
| 3. | अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त संस्थानों की सूची वेबसाइट www.dtempcounselling.org तथा www.mponline.gov.in पर उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थी तदानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही संपादित करें। |

ऑनलाइन ऑफ-कैम्पस काउंसलिंग-2013

विद्यार्थी एवं अभिभावक को ध्यान देने योग्य बिन्दु

- विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों यथा BE/B.Arch./ B.Pharmacy /D.Pharmacy / Diploma (PPT Courses) / Diploma (Non-PPT Courses)/ME-MTech./M.Pharma./Lateral Entry-(BE/B.Pharma.) /Lateral Entry-(ITI/Diploma)/MBA/MCA/MAM/LET-MCA प्रवेश ऑनलाईन किये जाते हैं।
- ऑनलाईन काउंसलिंग के माध्यम से उपरोक्त विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के नियम/निर्देश/काउंसलिंग-प्रक्रिया/विज्ञापन/समय-सारणी/गतवर्ष के कट-ऑफ अंक/सहायता केन्द्रों की सूची/पाठ्यक्रम वार संस्थाओं की सूची, इत्यादि वेबसाइट www.dtempcounselling.org तथा www.mponline.gov.in पर भी उपलब्ध रहेंगे।
- काउंसलिंग में सम्मिलित होने के पूर्व संबंधित पाठ्यक्रम के प्रवेश नियमों का अध्ययन कर लें। संशय की स्थिति में अपने निकट के सहायता केन्द्रों पर संपर्क करें। सहायता केन्द्रों (जोकि शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय/पोलीटेक्निक महाविद्यालय/महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय हैं) की सूची वेबसाइट www.dtempcounselling.org तथा www.mponline.gov.in पर उपलब्ध है।
- जिन संस्थाओं में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं, उन संस्थाओं की समस्त जानकारी प्रवेश के पूर्व प्राप्त कर लें एवं उन संस्थाओं को अपनी च्वाइस फिलिंग के समय प्राथमिकताक्रम में बहुत सोच समझ कर पूर्णतः स्वविवेक से भरे। कम्प्यूटर पर च्वाइस भरने के पूर्व संस्थाओं की प्राथमिकताक्रम सूची तैयार रखें और सूची अनुसार कम्प्यूटर पर लॉगइन कर अपनी च्वाइस भरें तथा पूर्ण संतुष्टि के उपरांत च्वाइस लॉक करने की अंतिम तिथि के पूर्व लॉक करें। **शुल्क भुगतान करने के बाद आप अपनी प्राथमिकताक्रम/च्वाइस में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे।**
- काउंसलिंग के पंजीयन (Registration) करने के लिये ईमेल आईडी एवं मोबाइल नम्बर पूर्व से निर्धारित कर लें।
- निजी संस्थाओं द्वारा लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क/अन्य शुल्क का निर्धारण "प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, मध्यप्रदेश" द्वारा किया जाता है, फीस की जानकारी वेबसाइट www.afrcmp.org पर उपलब्ध है।
- अभ्यर्थी अपने निवास से अथवा शासकीय सहायता केन्द्रों से भी काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हों। किसी दलाल/कमीशन एजेंटों को अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति को अपने मूल दस्तावेज, शुल्क आदि न दें। ऐसे व्यक्ति आपको गुमराह कर सकते हैं।
- मूल दस्तावेज सहायता केन्द्रों या आवंटित संस्था में जमा नहीं करना है। मूल दस्तावेज सत्यापन उपरांत वापिस ले लें। आवंटित संस्था में प्रवेश के समय आवश्यक दस्तावेजों की केवल फोटोप्रति जमा करनी है।
- ऑनलाइन पंजीयन, सत्यापन (सत्यापन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित), ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग, आवंटन पत्र तथा संस्था में रिपोर्टिंग (संस्था के अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित) के पश्चात् आदि की ऑनलाइन पावती अवश्य प्राप्त करें एवं संभाल कर रखें।
- ऑनलाईन काउंसलिंग की पंजीयन (Registration) प्रक्रिया के समय प्राप्त पासवर्ड को सुरक्षित एवं गोपनीय रखें तथा समय-समय पर आवश्यकतानुसार उसका उपयोग करें। किसी भी परिस्थिति में अपना पासवर्ड किसी को भी न बताएं।
- **किसी बाहरी व्यक्ति के बहकावे में न आवें, तथा कमीशन एजेंटों/दलालों से सावधान रहें। किसी की भी बातों में आकर उनके द्वारा बताई गई संस्था में प्रवेश न लें। अभिभावक व विद्यार्थी संस्थाओं की जानकारी वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं अथवा स्वयं संस्थानों में जाकर प्राचार्य/संचालक से मिलकर संस्थानों की जानकारी प्राप्त करें।**
- विभिन्न चरणों के माध्यम से आयोजित होने वाली काउंसलिंग में सम्मिलित होकर ही प्रवेश प्राप्त करें। संस्थाओं द्वारा सीधे प्रवेश की कार्यवाही नहीं की जाती है। सभी प्रवेश काउंसलिंग के माध्यम से ही किये जाते हैं।